UPBJ010110452018

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 विजय कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा UP2413

विशेष सत्रवाद संख्याः– 317/2018
सरकार बनाम मंगू

धाराः– 135 विद्युत अधिनियम,
थानाः– हल्दौर जिला बिजनौर।
मुकदमा अपराध संख्याः– 98/2017

<u>10–02–2023</u>

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त **मंगू** जमानत पर न्यायालय उपस्थित आया।

पत्रावली आज आरोप विरचन हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को आरोप के प्रश्न पर सुना तथा पत्रचावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियेाजन की ओर से अपने समर्थन में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्य तथा केस डायरी से मौखिक साक्ष्य का सन्दर्भ दिया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप प्रथम दृष्ट्या बनता प्रतीत हो रहा है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध तदनुसार आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 06–03–2023 को पेश हो। गवाहान तलब हों।

(डॉ0 विजय कुमार)
विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट),
बिजनौर।

दिनांकः– 10–02–2023

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2023.02.10 16:59:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।
पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 विजय कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा UP2413

विशेष सत्रवाद संख्याः– 317/2018
सरकार बनाम मंगू

धाराः– 135 विद्युत अधिनियम,
थानाः– हल्दौर जिला बिजनौर।
मुकदमा अपराध संख्याः– 98/2017

<u>आरोप</u>

मैं, डॉ0 विजय कुमार, विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट), बिजनौर आप अभियुक्त **मंगू** को निम्नवत् आरोपित करता हूं–

<u>प्रथमतः–</u>

यह कि दिनांक 06–03–2017 को समय करीब 14:30 बजे से 17:05 बजे के बीच बहद ग्राम गोवर्धनपुर नंगली थाना हल्दौर जिला बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत विद्युत चैकिंग टीम द्वारा आपके घरेलू परिसर को चैक करने पर आप गांव के निकट रखे निजी नलकूप संयोजनों के परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) से अवैध रूप से केबिल जोड़कर विद्युत का अवैध रुप से उपभोग करते हुये पाये गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है, जो धारा **135 विद्युत अधिनियम** के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(डॉ0 विजय कुमार)
दिनांकः– 10–02–2023 विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट),
बिजनौर।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण का दावा किया।

(डॉ0 विजय कुमार)
दिनांकः– 10–02–2023 विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट),
बिजनौर।